भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 691
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पान मसाला पैकेटों पर वैधानिक चेतावनी

691. श्री इटेला राजेंदर:
श्रीमती डी. के. अरुणा:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पान मसाला के पैकेटों पर वैधानिक चेतावनियों के वर्तमान 3 एमएम वाले फॉन्ट के आकार को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि लेबल के सामने के भाग को 50% तक कवर किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या पान मसाला विनिर्माता इस आधार पर विनियमों को चुनौती दे रहे हैं कि इनके बढ़े हुए आकार का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत गठित समितियों द्वारा किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अल्कोहल जैसे ऐसे ही हानिकारक उत्पादों, जिनका आकार अभी भी 3 मिमी है, के लिए चेतावनी के आकार में विसंगति है;

(ङ) क्या एफएसएसएआई ने चेतावनी के आकार में वृद्धि की है जो देश में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक लोक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा था और संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अंतर्गत एक युक्तियुक्त प्रतिबंध था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) नोटिस किए गए उल्लंघनों और इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 11 अक्टूबर, 2022 को पान मसाला के लेबल पर चेतावनी से संबंधित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 अधिसूचित किया है, जो 1 मई, 2023 से लागू है। उपभोक्ता जागरूकता के लिए पान मसाला

पर चेतावनी संबंधी विवरण का आकार बढ़ा दिया गया है, ताकि वे इसके उपभोग से होने वाले जोखिमों के बारे में जानकर सही विकल्प चुन सकें।

इस प्रावधान को लेबलिंग और दावों/विज्ञापन संबंधी वैज्ञानिक पैनल और एफएसएसएआई की वैज्ञानिक समिति में हुए विचार-विमर्श के आधार पर अधिसूचित किया गया था। इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 4470/2023 के संबंध में दिनांक 09.07.2024 के अपने आदेश में बरकरार रखा है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (एल्कोहॉलयुक्त पेय पदार्थ) विनियम, 2018 में यह निर्धारित किया गया है कि शराब के सेवन के संबंध में अंग्रेजी भाषा में मुद्रित एक वैधानिक चेतावनी हो। यदि संबंधित राज्य चाहते हैं कि इसे उनकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाए, तो राज्यों को अंग्रेजी संस्करण दोहराए बिना इसकी अनुमति है। वैधानिक चेतावनी का आकार 200 मिली तक के पैक आकार के लिए 1.5 मिमी से कम नहीं होना चाहिए और 200 मिली से अधिक के पैक आकार के लिए चेतावनी का आकार 3 मिमी से कम नहीं होना चाहिए।

विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के प्रवर्तन के दौरान विश्लेषित किए गए, गैर-अनुरूप पाए गए विभिन्न नमूनों (पान मसाला सहित) तथा की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए सिविल मामलों की संख्या	शुरू किए गए आपराधिक मामलों की संख्या
1	2020-21	107829	28347	24195	3869
2	2021-22	144345	32934	28906	4946
3	2022-23	177511	44626	38096	4818
4	2023-24	170513	33808	33854	6377

******